जयपुर में जैश-ए-मोहम्मद की कथित महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज, एटीएस खंगाल रही नेटवर्क के तार

- एजेंसियों के मुताबिक महिला ने ऑनलाइन कलमा पढ़कर धर्म परिवर्तन किया था और उसने अपना नाम 'खदीजा' रख लिया था।
- एजेंसियों को आशंका है कि महिला को कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए प्रभावित कर आतंकी संगठन के लिए तैयार किया जा रहा था।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने राजधानी जयपुर में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से कथित रूप से जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एटीएस ने बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा (37) को जयपुर के वाटिका क्षेत्र से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर क्षेत्र की रहने वाली महिला वर्तमान में जयपुर में अपने सेवानिवृत्त पिता के साथ रह रही थी।

एटीएस के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि महिला पिछले कई महीनों से सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पाकिस्तान स्थित संदिग्ध हैंडलरों और कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में थी। एजेंसियों को आशंका है कि महिला को कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए प्रभावित कर आतंकी संगठन के लिए तैयार किया जा रहा था।

बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा

सोशल मीडिया से बढ़े संपर्क

जांच में महिला के मोबाइल फोन से दो सिम कार्ड, सोशल मीडिया अकाउंट और कई विदेशी संपर्कों के प्रमाण मिले हैं।

एटीएस के अनुसार महिला के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान सहित विदेशी नंबरों से बातचीत के संकेत मिले हैं। उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे कई प्रोफाइल पाए गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद और अन्य उग्रवादी संगठनों से संबंधित सामग्री, झंडे और हथियारबंद आतंकियों की तस्वीरें मौजूद थी।

एजेंसियों के मुताबिक महिला ने ऑनलाइन कलमा पढ़कर धर्म परिवर्तन किया था और उसने अपना नाम 'खदीजा' रख लिया था। जांच में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान स्थित एक मौलवी के संपर्क में आने के बाद उसे पाकिस्तान बुलाने और कथित तौर पर विवाह कराने की योजना बनाई जा रही थी। महिला को नमाज, कुरान और अन्य धार्मिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास भी किया गया।

पाकिस्तान भेजने की साजिश की आशंका

एटीएस को शक है कि महिला को नेपाल, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी। महिला के मोबाइल से पाकिस्तान को कुछ दस्तावेज और अन्य जानकारियां भेजे जाने के संकेत भी मिले हैं। हालांकि उसने मोबाइल का काफी डेटा डिलीट कर दिया था, जिसे अब फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से रिकवर किया जा रहा है।

एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि पिछले छह-सात महीनों से महिला का धर्म परिवर्तन कराने और उसके माध्यम से भारत में गतिविधियां संचालित करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि सभी तथ्यों की डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुष्टि की जा रही है।

बड़े नेटवर्क से जुड़े होने की जांच

सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि महिला केवल ऑनलाइन संपर्क तक सीमित थी या किसी बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा भी थी। सूत्रों के अनुसार महिला का संपर्क जैश-ए-मोहम्मद के कथित प्रवक्ता एवं कमांडर कारी जरार सहित कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा पाया गया है, जिनके संबंध पूर्व आतंकी घटनाओं से रहे हैं।

जांच एजेंसियां उसके संभावित संबंधों की पड़ताल कर रही हैं। महिला को अदालत में पेश करने के बाद 27 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एटीएस, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उसके डिजिटल फुटप्रिंट, बैंकिंग गतिविधियों, विदेशी संपर्कों और नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं।

पहले भी जयपुर का उपयोग कर चुके हैं आतंकी

उल्लेखनीय है कि इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उमर हारिस उर्फ 'खरगोश' भी फर्जी पहचान के साथ जयपुर में रह चुका है। उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकाह और पासपोर्ट बनवाया था तथा बाद में देश छोड़कर फरार हो गया।

जांच एजेंसियों को उसके सऊदी अरब में छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कट्टरपंथी नेटवर्क युवाओं और महिलाओं को प्रभावित करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं।

ऐसे में जयपुर में हुई यह गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल मामले में विस्तृत जांच जारी है और एजेंसियां कई अहम पहलुओं पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई हैं।

पाकिस्तान के लिए जासूसी मामले में गिरफ्तार मुश्ताक की रिमांड तीन दिन बढ़ी

सीआईडी इंटेलिजेंस ने आरोपी को पूछताछ के लिए 3 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड मांगी थी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार मुश्ताक को सोमवार को पांच दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रमांक-3 जयपुर महानगर-प्रथम की अदालत में पेश किया गया। जहां सुनवाई के दौरान सीआईडी इंटेलिजेंस ने आरोपी से आगे की पूछताछ के लिए तीन दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड मांगी, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। अब आरोपी को 25 जून को पुनः अदालत में पेश किया जाएगा।

सीआईडी इंटेलिजेंस के विशेष लोक अभियोजक सुदेश सत्वान ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की गहन पड़ताल की जानी है। पूछताछ में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने चिन्हित कर लिया है। हालांकि जांच के हित में उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

जांच एजेंसियों के अनुसार पांच दिन की रिमांड के दौरान आरोपी को उन स्थानों पर भी ले जाया गया, जहां से उसने कथित रूप से फोटो और वीडियो बनाए थे।

आरोपी मुश्ताक

इन स्थानों पर मौके का निरीक्षण कर यह जानने का प्रयास किया गया कि उसे स्थानीय स्तर पर किन लोगों का सहयोग प्राप्त था। सुरक्षा एजेंसियां उसके संभावित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। गौरतलब है कि सीआईडी इंटेलिजेंस ने मुश्ताक को जैसलमेर से गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह पिछले करीब दो वर्षों से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में था। आरोप है कि हैंडलर्स के निर्देश पर उसने एक चाय की दुकान खोली थी और वहां लाइव फीड कैमरे लगाने की तैयारी कर रहा था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी सेना और बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखता था। वह गूगल मैप और कैमरे की सहायता से संवेदनशील सैन्य स्थलों की सटीक लोकेशन, फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेजता था। जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से दो संदिग्ध नंबर भी मिले हैं, जो खालिद और नजीर अहमद के नाम से सेव थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये दोनों पाकिस्तान में रहकर एजेंटों को प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं।

सुरक्षा एजेंसियां आरोपी के नेटवर्क, संपर्क सूत्रों और आर्थिक लेन-देन की गहन जांच में जुटी हैं। साथ ही इस पूरे मामले में अन्य व्यक्तियों की संभावित संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि आगे की पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

सोडाला में चाइनीज मांझे से छात्र की गर्दन कटी, घायल

मांझे को गले से हटाने की कोशिश में अंगूठा व दो अंगुलियां भी जख्मी

जयपुर। राजधानी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। सोडाला थाना क्षेत्र में सोमवार शाम परीक्षा देकर लौट रहे एक प्रतियोगी छात्र की गर्दन में अचानक चाइनीज मांझा फंस गया। मांझे की धार से छात्र का गला कट गया, जबकि उसे हटाने के प्रयास में उसके बाएं हाथ का अंगूठा और दो उंगलियां भी घायल हो गईं। समय रहते राहगीरों और पुलिस की मदद मिलने से छात्र की जान बच गई।

पुलिस के अनुसार अलवर जिले के गंज खेरली निवासी अजय शर्मा जयपुर के वैशाली नगर स्थित गांधी पथ क्षेत्र में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार शाम करीब 6.30 बजे वह हाईकोर्ट सर्किल क्षेत्र में परीक्षा देकर मोटरसाइकिल से अपने कमरे लौट रहे थे। इसी दौरान रामनगर मेट्रो स्टेशन और सोडाला थाना क्षेत्र के बीच एलिवेटेड रोड पर हवा में लहराता चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया। गले में मांझा फंसते ही अजय ने उसे हाथ से हटाने का प्रयास किया, लेकिन मांझे की तेज धार से उनके बाएं हाथ का अंगूठा और दो उंगलियां भी कट गईं। घबराहट और दर्द के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़े।

घटना के बाद राहगीरों ने तत्काल मदद करते हुए खून का बहाव रोकने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार मांझे से लगा घाव सांस की नली के बेहद करीब था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। प्राथमिक उपचार और टांके लगाने के बाद छात्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद एक बार फिर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

एसआई भर्ती पेपरलीक मामला: 10 हजार का इनामी अभ्यर्थी मनीष दाधीच गिरफ्तार

लीक प्रश्नपत्र पढ़कर लिखित परीक्षा में हासिल किए थे बंपर अंक

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 10 हजार रुपए के इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे अभ्यर्थी मनीष दाधीच को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले ही लीक हुए प्रश्नपत्र के प्रश्न-उत्तर पढ़कर लिखित परीक्षा दी थी और असामान्य रूप से अधिक अंक हासिल किए थे। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी थाने में दर्ज प्रकरण की जांच में सामने आया कि डीडवाना-कुचामन जिले के सागू छोटी निवासी मनीष दाधीच (30) ने आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा द्वारा लीक किए गए प्रश्नपत्र का लाभ लिया था।जांच में खुलासा हुआ कि आरोपित मनीष को लीक प्रश्नपत्र उसके भाई पुरुषोत्तम दाधीच, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर में सहायक लेखाधिकारी प्रथम है तथा संदीप कुमार लाटा सहायक लेखाधिकारी प्रथम (कोष एवं लेखा विभाग जयपुर) के माध्यम से उपलब्ध कराया गया था। दोनों आरोपितों ने कटारा से प्राप्त प्रश्नपत्र अपने परिचितों को पढ़वाया था।एसओजी के अनुसार लीक प्रश्न पत्र पढ़ने का असर मनीष के परिणाम में स्पष्ट दिखाई दिया। उसने हिंदी विषय में 200 में से 170.08 अंक तथा सामान्य ज्ञान (जीके) में 200 में से 158.69 अंक प्राप्त किए। हालांकि लिखित परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बावजूद वह साक्षात्कार में न्यूनतम निर्धारित अंक हासिल नहीं कर सका, जिसके चलते अंतिम चयन सूची में उसका नाम शामिल नहीं हो पाया।

आरोपी मनीष दाधीच

इस पेपर लीक नेटवर्क में शामिल मनीष के भाई पुरुषोत्तम दाधीच को 2 जून 2025 तथा संदीप कुमार लाटा को 4 जून 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी ने दोनों के खिलाफ 31 जुलाई 2025 को न्यायालय में आरोप पत्र भी पेश कर दिया था। वर्तमान में दोनों आरोपी निलंबित हैं और उच्चतम न्यायालय से जमानत पर बाहर हैं।वहीं फरार चल रहे मनीष दाधीच पर एसओजी की ओर से 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे 23 जून 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामले में उससे गहन पूछताछ की जा रही है।

गौरतलब है कि राजस्थान की चर्चित एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी अब तक 147 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी पूरे नेटवर्क की परतें खोलने और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल में जुटी हुई है।

योग दिवस एवं फादर्स डे मनाया

जयपुर । झोटवाड़ा स्थित जागृति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे को लेकर कार्यक्रम आयोजित हुआ।

जहां स्थानीय नागरिकों, युवाओं और प्रबुद्धजनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सामूहिक योग अभ्यास कर स्वास्थ्य व संस्कार का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस के जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा रहे। जबकि विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ नेत्री मंजू शर्मा रही।

मजदूर की मौत

जयपुर। जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में मानबाग चौराहा स्थित सुंदर नर्सरी के पास सोमवार सुबह एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान बिहार के वैशाली निवासी अरविंद कुमार ठाकुर (45) के रूप में हुई है।

हाईटेक नकल का नया फार्मूला फेल: री-नीट अभ्यर्थी जेल पहुंची

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित री-नीट (यूजी-2026) परीक्षा के दौरान जयपुर में नकल का एक हाईटेक मामला सामने आया है। बिंदायका थाना पुलिस ने परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन के जरिए नकल करने का प्रयास कर रही एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। छात्रा ने सुरक्षा जांच को चकमा देते हुए आईफोन-16 प्रो मोबाइल फोन अंत:वस्त्रों में छिपाकर परीक्षा केंद्र के भीतर पहुंचाया था। सोमवार को आरोपी छात्रा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

हिमांशी तिवारी (मुंह ढके हुए)

पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि रविवार को बिंदायका स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में री-नीट परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या-7 में रोल नंबर 3903611143 पर परीक्षा दे रही हिमांशी तिवारी (22) निवासी प्रेम नगर-1, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड की गतिविधियां परीक्षा के दौरान संदिग्ध लगीं।

ड्यूटी पर तैनात वीक्षक ने जांच की तो उसके पास मोबाइल फोन मिला। इसके बाद छात्रा को केंद्र अधीक्षक के सुपुर्द कर पुलिस को सूचना दी गई।

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि छात्रा ने सुबह सुरक्षा जांच के दौरान आईफोन-16 प्रो मोबाइल फोन अपने निजी अंगों एवं अंत:वस्त्रों में छिपाकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया था। छात्रा का यह नीट परीक्षा का तीसरा प्रयास था। उसने पूछताछ में बताया कि उसकी योजना प्रश्नपत्र की फोटो लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट 'चैटजीपीटी' की मदद से उत्तर प्राप्त कर परीक्षा हल करने की थी।

जांच में यह भी सामने आया कि प्रवेश के दौरान दो बार मेटल डिटेक्टर में अलर्ट मिला था। इस पर छात्रा ने सुरक्षा कर्मियों को बताया कि अलर्ट उसके अंडरगारमेंट्स में लगे धातु के हुक के कारण आ रहा है। सुरक्षा कर्मी उसके जवाब से संतुष्ट हो गए और उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया।

पुलिस के अनुसार परीक्षा केंद्र के आसपास लगाए गए हाई-पावर इंटरनेट जैमर के कारण मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं। इसी वजह से छात्रा अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सकी। परीक्षा समाप्त होने से करीब 15 मिनट पहले उसके मोबाइल में नीट प्रश्नपत्र की तस्वीरें भी मिलीं, लेकिन जैमर सक्रिय होने के कारण वह उन्हें बाहर नहीं भेज सकी। इंटरनेट चालू करने और मोबाइल का उपयोग करने के प्रयास के दौरान ही वीक्षक की नजर उस पर पड़ गई और पूरा मामला उजागर हो गया।

केंद्र अधीक्षक की रिपोर्ट पर बिंदायका थाने में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024 की धारा 3(एक्स)/10(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त (बगरू) को सौंपी गई है। सोमवार को छात्रा को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अदालत परिसर से बाहर निकलते समय छात्रा ने मीडिया कैमरों से बचने के लिए अपना चेहरा छिपा लिया। पुलिस ने जब्त मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि मोबाइल का उपयोग केवल उत्तर खोजने के लिए किया गया था या प्रश्नपत्र की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का भी प्रयास किया गया था। पुलिस छात्रा के डिजिटल फुटप्रिंट, सोशल मीडिया गतिविधियों और मोबाइल डेटा की भी जांच कर रही है।

जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि नकल के इस प्रयास में कोई संगठित गिरोह अथवा अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं था। वहीं, सुरक्षा जांच के बावजूद मोबाइल परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंचा, इसे लेकर केंद्र अधीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि जांच में अनुचित साधनों के उपयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित कानून के तहत दोष सिद्ध होने पर पांच वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, पूर्व प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर,जयपुर
क्रमांक:-1515 जाहिर आम सूचना दि:- 22.06.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर योजना जयपुर में मण्डल द्वारा अवाप्त भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप 15 प्रतिशत आवासीय विकसित भूखण्ड संख्या 112/ISP-17 क्षेत्रफल 237.90 वर्गमीटर का आवंटन का खातेदार श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री मगनलाल को किया गया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 0858 दिनांक 02.12.1998 को जारी किया गया था। श्री संदीप शर्मा द्वारा श्री अभिषेक कोहरा पुत्र श्री बालमुकुन्द मीणा को दिनांक 15.12.2000 को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री अभिषेक कोहरा द्वारा उक्त आवासीय विकसित भूखण्ड का विक्रय श्रीमती गीता मीणा पत्नी श्री बालमुकुन्द मीणा को दिनांक 28.10.2014 को जरिए विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया गया। क्रेती श्रीमती गीता मीणा पत्नी श्री बालमुकुन्द मीणा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवासीय विकसित भूखण्ड अपने नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवासीय विकसित भूखण्ड के नाम दर्ज करने बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए कि मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती गीता मीणा पत्नी श्री बालमुकुन्द मीणा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)
क्रमांक : भू.वि.शाखा/2026/6576 सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक : 03.06.2026
प्राधिकरण की योजना ट्रांसपोर्ट नगर भरतपुर के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-376 (क्षेत्रफल- 22.22 वर्गगज) की लीजडीड माह मार्च-2001 को श्री समन्दर सिंह पुत्र श्री श्रीराम जाति जाट निवासी-कुम्हेर गेट भरतपुर (राज.) के पक्ष में निस्पादित की गई थी, जो उप पंजीयक कार्यालय भरतपुर में दिनांक 29.03.2001 को विधिवत रूप से पंजीबद्ध है। प्राधिकरण में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार पट्टाधारक श्री समन्दर सिंह पुत्र श्री श्रीराम द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड वसनामा दिनांक 20.12.2006 को श्री पप्पू खूटैला पुत्र श्री मिट्ठू सिंह जाति जाट निवासी-कुम्हेर गेट हाल निवासी-सी-97 इन्द्रा नगर भरतपुर (राज.) को कर दिया गया। श्री पप्पू खूटैला पुत्र श्री मिट्ठू सिंह द्वारा उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड दान-पत्र (पति के द्वारा पत्नी के हक में) दिनांक 06.04.2026 को श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री पप्पू खूटैला निवासी-सी-97 इन्द्रा नगर भरतपुर (राज.) को कर दिया गया। श्रीमती चन्द्रवती पत्नी श्री पप्पू खूटैला द्वारा उक्त भूखण्ड का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड वसनामा दिनांक 17.04.2026 को श्रीमती विमलेश पत्नी श्री नरसी लाल वैष्णव जाति ब्राह्मण निवासी-गुरमीत वाली गली तिलक नगर भरतपुर (राज.) को कर दिया गया है। श्रीमती विमलेश पत्नी श्री नरसी लाल वैष्णव द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-376 का नाम परिवर्तन श्रीमती विमलेश पत्नी श्री नरसी लाल वैष्णव के पक्ष में करने पर किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चत करें, अन्यथा बाद गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या-376 योजना ट्रांसपोर्ट नगर भरतपुर का नाम परिवर्तन श्रीमती विमलेश पत्नी श्री नरसी लाल वैष्णव जाति ब्राह्मण निवासी-गुरमीत वाली गली तिलक नगर भरतपुर (राज.) के पक्ष में कर दिया जावेगा। उपायुक्त, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)